[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 3/2017- सेवा कर

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी, 2017

सा.का.नि. (अ),- वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 68 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 30/2012-सेवा कर, दिनांक 20 जून, 2012 जिसे सा.का.नि. 472 (अ), दिनांक 20 जून, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है, यथा :-

1. उक्त अधिसूचना में,-

(i) पैराग्राफ I में, उपवाक्य (क) में, उप-उपवाक्य (vi), के पश्चात निम्नलिखित उप-उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

> "(vii) गैर-कर वाले भू-क्षेत्र में स्थित व्यक्ति द्वारा गैर-कर वाले भू-क्षेत्र में स्थित व्यक्ति को भारत के बाहर स्थित स्थान से भारत में स्थित कस्टम स्टेशन तक जहाज के द्वारा वस्तुओं का परिवहन करके प्रदान की जाने वाली या प्रदान किए जाने के लिए वचन दिए जाने वाली;";

(ii) पैराग्राफ (II) में, सारणी में, क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

" 12.	भारत के बाहर स्थित किसी स्थान से भारत में स्थित कस्टम क्लियरेंस स्टेशन तक जहाज के द्वारा वस्तुओं का परिवहन करके दी गई या दिए जाने के लिए वचन दी गई सेवाओं के संबंध में	शून्य	100%".

(iii) स्पष्टीकरण III के पश्चात, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

''स्पष्टीकरण IV- इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, भारत के बाहर स्थित किसी स्थान से भारत में स्थित कस्टम क्लियरेंस स्टेशन तक जहाज के द्वारा वस्तुओं का परिवहन करके दी गई या दिए जाने के लिए वचन दी गई सेवाओं के संबंध में, सेवा प्रदाता से पृथक सेवा कर का भुगतान करने का दायी वही व्यक्ति होगा जो कि ऐसी वस्तुओं के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 148 के साथ पठित धारा 29, 30 या 38 के प्रावधानों का अनुपालन करता है'।

2. यह अधिसूचना 22 जनवरी, 2017 को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 354/42/2016-टीआरयू]

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 30/2012 - सेवा कर, दिनांक 20 जून, 2012, सा.का.नि. 472 (अ), दिनांक 20 जून, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसचूना सं. 49/2016-सेवा कर, दिनांक 9 नवम्बर, 2016, सा.का.नि. 1058 (अ), दिनांक 9 नवम्बर, 2016 के द्वारा संशोधन किया गया है।